राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 41/2017/जयपुर.
(सम्बन्धित अपील संख्या – 65/2014/जयपुर)

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–तृतीय, प्रतिकरापवंचन, जोन–द्वितीय, जयपुर. .....अपीलार्थी (अप्रार्थी).

बनाम

श्री सर्वेश पुत्र रूपाराम,
गांव जटइया, तह. तिलार जोनपुर (यू.पी.). .....प्रत्यर्थी (प्रार्थी).

2. परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या – 42/2017/जयपुर.
(सम्बन्धित अपील संख्या – 75/2014/जयपुर)

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–तृतीय, प्रतिकरापवंचन, जोन–द्वितीय, जयपुर. .....अपीलार्थी (अप्रार्थी).

बनाम

मैसर्स गुप्ता इण्डस्ट्रीज,
सी–26, चांदपोल बाजार, जयपुर. .....प्रत्यर्थी (प्रार्थी).

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री आर. एस. जाजू, अभिभाषक .....प्रार्थीगण की ओर से.
श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अप्रार्थीगण की ओर से.

निर्णय दिनांक : 07/06/2017

निर्णय

1. यह दोनों परिशोधन प्रार्थना–पत्र प्रार्थीगण (प्रत्यर्थीगण) द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या क्रमशः 65/2014/जयपुर व 75/2014/जयपुर में एकलपीठ द्वारा पारित किये गये पृथक–पृथक निर्णय दिनांक 23.01.2017 में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 33 के तहत प्रस्तुत किये गये हैं।

2. प्रार्थीगण द्वारा परिशोधन प्रार्थना–पत्रों के सन्दर्भ में माननीय एकलपीठ के सन्दर्भित निर्णय दिनांक 23.01.2017 में त्रुटि किया जाना बताते हुए निर्णयों को संशोधित किये जाने का निवेदन किया गया है।

3. परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या 41/2017 (अपील संख्या–65/2014) से सम्बन्धित प्रकरण में माननीय एकलपीठ द्वारा अपीलीय आदेश दिनांक 7.8.2013 की पुष्टि करते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार की गयी है, उक्त आदेश से प्रार्थी (प्रत्यर्थी) को पूर्ण राहत प्रदान की गयी है, इसके बावजूद परिशोधन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जाना तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थी का परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या 41/2017 तथ्यों के विपरीत प्रस्तुत किये जाने के आधार पर खारिज किया जाता है।

लगातार.....2

4. इसी प्रकार परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या 42/2017 (अपील संख्या–75/2014) से सम्बन्धित प्रकरण में माननीय एकलपीठ द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के मद्देनजर आदेश दिनांक 23.01.2017 पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि किया जाना नहीं पाया जाता है, ना ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना–पत्र में ऐसा कोई तथ्य अंकित किया गया है जिससे उक्त निर्णय में किसी प्रकार की त्रुटि किया जाना प्रतीत होता हो। इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा उक्त निर्णय को अविधिक बताते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील संख्या 2692/2011 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज में पारित निर्णय दिनांक 29.3.2011 [(2011) 29 टैक्स अपडेट 253]** में यह व्यवस्था दी गयी है कि राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 33 (राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 33) के तहत केवल अभिलेख से प्रकट भूल ही संशोधनीय है, निर्णय की मूल अवधारणा को परिवर्तित करना उक्त धारा के तहत अनुज्ञेय नहीं है।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक निर्णय के आलोक में प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष अनुज्ञेय नहीं होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना–पत्र संख्या 42/2017 भी अस्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

6. परिणामस्वरूप प्रार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत दोनों परिशोधन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाते हैं।

7. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष